कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 613 /11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 02 ,2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1, किमी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/444, दिनांक 05.12.2023, मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक–1711/2–6, दिनांक 12.01.2024 एवं पत्रांक–473/2–6, दिनांक 14.08.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक–1711/2–6, दिनांक 12.01.2024 एवं पत्रांक–473/2–6, दिनांक 14.08.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा ऑनलाइन प्रस्ताव अपलोड कर दिनांक 02.09.2024 को इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 613 /11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
3. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

409
11-सी
21/08/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 473 /2–6, ,दिनांक, गोरखपुर, अगस्त 14 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

Ad.S.O.
CCF/Nodal
SA.O.
21/08/24

विषय– जनपद देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग ,तहसील–सदर ,जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–3482/11–सी–एफ0पी0/यू0पी/अन्य/16134/2015 दिनांक 21.05.2024 व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,देवरिया का पत्रांक–393/2–6 , दिनाक 12.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ,जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक– 393/2–6 , दिनाक 12.08.2024 द्वारा संसोधित प्रस्ताव का अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया द्वारा संशोधित प्रस्ताव को आनलाइन पार्ट–2 में फीड कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

संख्या– अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ,देवरिया
पत्रांक 393/2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 12/ 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–3482/11–सी,एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/16134/2015 दिनांक 21.05.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या–1 पर उठायी गयी आपत्ति की आख्या निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	ऑन लाईन–पार्ट–।। के क्रमांक–4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन–पार्ट–।। में फीड करें	विषयगत प्रस्ताव के ऑन लाईन पार्ट–।। के क्रमांक–4 में हरियाली घनत्व 0.4 संशोधित कर ऑन लाईन पार्ट–।। में फीड कर दिया गया है।

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

निहित
प्र0क0स0
14.08.2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 1711 /2–6, ,दिनांक, गोरखपुर, जनवरी 12 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– जनपद देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवा बुजुर्ग ,तहसील–सदर ,जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/444 दिनांक 05.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1397/11–सी–एफ0पी0/यू0पी/अन्य/16134/2015 दिनांक 07.12.2023 व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,देवरिया का पत्रांक–1565/2–6 , दिनाक 29.12.2023

Adso
48
CF/Nodal
Fey
17/1/24

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ,जिसके कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक– 1565/2–6 , दिनाक 29.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संसोधित प्रस्ताव का अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव का अभिलेख मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

संख्या– अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1565 / 2-6 देवरिया, दिनांक, दिसम्बर 29 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 46 / 2017 / एफ0सी0 / 444 / दिनांक 05.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1397 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / अन्य / 16134 / 2015 दिनांक 07.12.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	आपत्ति का विवरण	उत्तरालेख
1	प्रभागीय निदेशक उस प्राधिकरण के खिलाफ एफ0सी0ए0 दिशा निर्देशों के खण्ड –3ए, और 3बी के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा। जिसने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिये उपयोग के आदेश पारित किये है। की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।	विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के किसी भी अधिकारी, द्वारा भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना गैर वानिकी प्रयोग हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रभाग द्वारा बिना भारत सरकार के अनुमति / आदेश के उल्लंघन के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी / फर्म द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रभाग द्वारा Clause-3B के तहत एच–2 केस जारी किया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है, इसके पूर्व में जारी एच–2 केस की प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 प्रयोक्ता एजेन्सी / फर्म से जमा कराकरा एच–2 केस प्रशमित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.01.2018 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से दण्डात्मक एन0वी0वी0 जमा कराये जाने की बचनबद्धता एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर पूर्व में प्रेषित की गयी है। उक्त की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:–1 एच–2 केस की सत्यापित प्रति ।
2–दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं बचनबद्धता प्रमाण–पत्र ।
3–एच–2 केस, प्रशमित प्रमाण–पत्र ।
4–दोषियों के खिलाफ जारी नोटिस की छाया प्रति ।

निहित

मु0व0सं0
11-01-2024

4063
2-6
11-01-2024

भवदीय

R. Jagadish

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1461/16E-1 देवरिया, दिनांक, दिसम्बर 16 / 2023

नोटिस

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर
नायरा इनर्जी लिमिटेड
(पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड)
अरिहन्त कम्पलेक्स, सिगरा–वाराणसी ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/444 दिनांक 05.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1397/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/16134/2015 दिनांक 07.12.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के प्रकरण में सक्षम स्तर से (भारत सरकार से) बिना अनुमति प्राप्त किये नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार आयल लिमिटेड) द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के Clause-3A and 3B तथा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के गाईड लाईन के पैरा 1.21 (1) का उल्लंघन किया गया है जिसके क्रम में आपके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित की जा रही है।

अतः आप अपने बचाव के पक्ष में जो भी अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत करने है तो आप दिनांक 20.12.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना और वन संरक्षण अधिनियम–1980 के Clause-3A and 3B तथा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के गाईड लाईन के पैरा 1.21 (1) का उल्लंघन मानते हुए आपके विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

छाया प्रति प्रमाणित

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

पत्रांक 1461 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1397/11 सी दिनांक 07.12.2023 के क्रम में ।
2–मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
3–प्रो0 श्रीमती विश्व भारती देवी पत्नी श्री रमेश जायसवाल, सोनौली–बलिया मार्ग कि0मी0 153 से 154 के मध्य अहिलवार बुजुर्ग तहसील व जनपद–देवरिया ।
4–क्षेत्रीय वन अधिकारी, बरहज ।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

Received
RO Barhaj copy & Vishwa Bharti Devi copy
18/12/23

/DM.BAEU

एच–2 केस प्रशमित प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सोनौली–बलिया मार्ग (S.H.-1) के कि0मी0 153 से 154 के मध्य दांयी पटरी पर ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रस्तावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है जिस पर एच–2 केस संख्या–17/2022–23 दिनांक 20.09.2023 इजरा किया गया है जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू0–50,000.00 मात्र की धनराशि ई–3 संख्या–12946 दिनांक 12.05.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पुस्तक सं0 77

वन विभाग उत्तर प्रदेश

पेज नं0 15

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(बी) का उल्लंघन

रिपोर्ट नं0 .... दिनांक 21-12-2023 रेन्ज बरहज वीट भलुअनी

रेन्ज केस नम्बर 23/2023-24 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता श्रीमती बिन्दु भारती देवी w/o रमेश प्रसाद निः सोनौली- बरहज मार्ग कि०मी० 153 से 154 के मध्य दायी पटरी अहिलवार बुजुर्ग, तहसील - सदर, जिला - देवरिया।

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता

   श्री एम०पी०सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी-बरहज

3. कथित अपराध का पूरा विवरण सोनौली- बरहज मार्ग कि०मी० 153 से 154 के मध्य दायी पटरी पर बिना अनुमति के वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जाना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(बी) का उल्लंघन।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

   छाया प्रति प्रमाणित

   उप प्रभागीय वनाधिकारी
   सामाजिक वानिकी प्रभाग
   देवरिया

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ भारत सरकार के पत्र सं- 8बी/यू०पी०/06/46 दि017/एफ०सी०/444 दि० 15-12-2023 के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(बी) का उल्लंघन किया है।

TC
आर.बी.ओ.
R.4
प्रभारि
22-12-2023

दिनांक- 21.12 2023

R. [signature]
केस काटने वाले का हस्ताक्षर
पद D.F.O
सामाजिक वानिकी प्रभाग

बचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नायरा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में जारी विभागीय एच–2 केस में जो प्रतिकर निर्धारित की जायेगी जो कम से कम हो, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा करने की बचनबद्धता दी जाती है इसके अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि निर्धारण किया जायेगा उसे नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया जायेगा। इसके लिए प्रार्थी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। न्याय के लिए ईश्वर मेरी रक्षा करें।

भवदीय
NAYARA ENERGY LTD.
Divisional Manager
प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म
नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी
ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग
तहसील–सदर
जनपद–देवरिया
दिनांक
VISHWA Bharti

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सदर रेंज
सा0 वा0 प्रभाग, देवरिया

(6) (33)

एन0पी0वी0 की गणना

जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर–देवरिया मार्ग (एस0एच0–1) ग्राम–अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील–देवरिया की गाटा सं0–547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग से 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

वन संरक्षण अधिनियम–1980 की धारा–2 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन0पी0वी0 की गणना :–

वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन कम में भारत सरकार की पत्र संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0एन0 5–3/2007 (एफ0सी0 डिविजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या–एफ0एन0 5–3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना :–

हरियाली घनत्व– 0.4, ईको–क्लास–III

एन0पी0वी0 की गणना :–क्षेत्रफल– 0.075028 हे0 X 1228590.00 प्रति हे0 = Rs. 92,178.65

या:– 92179.00

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 5 गुना :– = 92179x5= 4,60,895.00

उल्लंघन की तिथि दिनांक 23.03.2018 से 23.03.2024 तक

छः वर्ष तक वार्षिक व्याज 12 प्रतिशत = $\frac{460895 \times 6 \times 12}{100}$

= 3,31,844.40 या–3,31,844.00

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0 + व्याज = 4,60,895.00+ 3,31,844.00=792739.00

कुल देय धनराशि = 792739.00

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया